



पाँच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। यथा—

(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus),

(2) परमादेश (Mandamus),

(3) प्रतिषेध (Prohibition),

(4) उत्प्रेषण (Certiorari) तथा

(5) अधिकार पृच्छा (Quo warranto)

⇒ इन्हींलिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण  
मौदन् के खिलाफ जारी।

व्यक्ति को प्रस्तुत किया  
जाये।

मौदन् → पुलिस अधिकारी

मौदन् को गिरफ्तार

मौदन् को कर्तव्य है कि वह मौदन्  
को 24 घंटे के अंदर-2 (within  
24 Hours) मजिस्ट्रेट समक्ष लेजर जाये।  
लेकिन मौदन् ऐसा नहीं करता है।

परमादेश (Mandamus) - हम आदेश देते हैं (we order)

किसके विरुद्ध जारी ?

जब ये लोग  
अपना कर्तव्य निष्ठा  
से मना करें (अपना  
कार्य करने से मना करें)

- ⇒ सार्वजनिक अधिकारियों (Public officers)
- सरकार (Government)
- पंचायत, नगरपालिका (Panchayats, Municipalities)
- निगम (Corporations)
- Subordinate courts (अधीनस्थ न्यायालय) etc.

प्रतिषेध (Prohibition) → मना करना।

↳ किसके विरुद्ध (against) जारी (issue)? ⇒ Subordinate courts  
अधीनस्थ न्यायालय

उत्प्रेषण (Delegation)

↳ मंगवा लेना।  
↳ विरुद्ध (against) ⇒ Subordinate courts



पहुंच गया ⇒ District Court

ex. ⇒ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मामला ⇒ Supreme Court / High Court  
Protection of fundamental rights related matter

## आधीकार पृच्छा (Quo-warranto)

↓ What is your Authority (आपका क्या प्राधिकार है?)

// ↓ जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद (Public office) के पद को अवैधानिक (illegal) तरीके ग्राहण (Hold) करता है तो यह रिट उसके विरुद्ध जारी होती है।

आयरलैंड

Taken from  
Ireland

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Directive Principles of State Policy


Part-IV, आrt. 36-51  
भाग

→ (DPSP)

- भारतीय संविधान के भाग - 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक में 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' का वर्णन किया गया है।
- 'इसे 'आयरलैण्ड' के संविधान से लिया गया है।
- Part - 4, Articles 36 to 51 of the Indian Constitution describe the 'Directive Principles of State Policy'.
- 'It has been taken from the Constitution of 'Ireland'.

Art. 36 → राज्य की परिभाषा (Definition of state)

- भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था।
- The aim of the Indian Constitution makers was to establish a welfare state in India.



अनुच्छेद-37 में कहा गया है कि "इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू (En- forced) नहीं कराया जा सकता है; विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा ।"

**Article 37 states that "The provisions of this Part cannot be enforced by any court; it shall be the duty of the State to use these elements in law-making."**

F.R. => Court से लागू (enforced)  
Art. 37 => DPSP को Court से लागू नहीं करावा सकते हैं।

**अनुच्छेद 38** - राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके

**Article 38** - Directs the State to promote public welfare and strive to establish a social order in which social, economic and political justice is assured to every individual

Art 38 → लोक कल्याण (welfare) → न्याय (justice)  
③ Political (राजनीतिक) ① सामाजिक (social)  
② आर्थिक (economic)

राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा, अनु. 39 (घ)

The state shall provide equal pay for equal work to every citizen, whether male or female, Article 39 (d)

Art. 39(d) → Male (पुरुष)  
Female (महिला) } समान कार्य के समान वेतन  
equal work for equal payment

Art. 39(A)  $\Rightarrow$  Add on / जोड़ा गया  $\Rightarrow$  42(A) 1976  
↳ समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता  
equal justice and free legal aid.

**अनुच्छेद 40** के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठायेगा

**Article 40 provides that the State shall take steps to constitute Gram Panchayats.**

अ. 40 → पंचायतों का गठन ✓

⇒ संविधान संशोधन (Constitution Amendment) ⇒ 73 (A1992)

⇒ ग्राम पंचायतों की स्थापना ⇒ Part (भाग) → IX

⇒ अ. 243-2430, Schedule (अनुसूची) - II

**अनुच्छेद- 41** - सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें ।

↓ वृद्धा पेंशन योजना

↓ सरकारी अर-पताल  
(Govt. Hospital)

**Article 41** - All citizens have the right to employment and education according to their abilities and to receive public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disability.

अ. 41 → योग्यता (Qualification) ⇒ रोजगार (employment)

MANREGA

⇒ शिक्षा (education) ✓

⇒ बेरोजगारों को रोजगार ✓

**अनुच्छेद- 42 -** राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा ।

**Article 42 - The State shall endeavour to ensure that people are required to work in suitable and humane conditions and shall make provisions for maternity relief to women.**

अनु. 42 → व्यापित → जोड़ि कार्य करवाना है।

उपरोक्त अनुसार  
जिस व्यापित करने  
में सक्षम ।

**अनुच्छेद- 43 - राज्य व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे।**

**Article 43 - The State should encourage cottage industries on individual or co-operative basis.**

Art. 43 ⇒ कुटीर उद्योग  
Cottage Industries } Rural Area

**अनुच्छेद 43 ख - राज्य सहकारी समितियों के एच्छिक गठन**

**अनु. 43 ख - सत्तानबेवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया है**



**Article 43B - Voluntary formation of State cooperative societies**

**Article 43B - Added by the 97th Constitutional Amendment Act, 2011**

Art. 43(B) ⇒ Addon ⇒ 97 CA 2011

⇒ सहकारी समितियों का गठन (Formed by cooperative societies)  
ex ⇒ डेयरी उद्योग (Dairy Industries)

**अनु. 44 - समान नागरिक संहिता**

**Article 44 - Uniform Civil Code**

**अनुच्छेद- 46 -** राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के, शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की, विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

**Article 46 - The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, in particular of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them against social injustice and all forms of exploitation.**

**अनुच्छेद- 47 -** स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगायेगा।

**Article 47- Will prohibit the consumption of intoxicating drugs and other substances harmful to health.**

**अनुच्छेद- 48 -** राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारु और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनका बध रोकने के लिए कदम उठायेगा

**Article 48 - The State shall strive to make agriculture and animal husbandry modern and scientific and, in particular, shall take steps to preserve and improve the breeds of milch and draught cattle and to prevent their slaughter**

**अनु. 49 - के तहत राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को, जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया**

**Article 49 - Under the Act, the State shall protect every monument, place of artistic or historical interest declared by Parliament to be of national importance.**

**अनुच्छेद 50** के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक

**Separate the judiciary from the executive under Article 50**

**अनुच्छेद 51, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति सम्बन्धी निदेशक तत्व के बारे में है**

**Article 51 is about international peace and security and the directive principle of India's foreign policy**